प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 173 बी.एन.एस.एस.)

1. जिला भ्र.नि.ब्यू.जयपुर नगर–प्रथम जयपुर, थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर, वर्ष 2025
प्र.ई.रि.सं. 804/2025 दिनांक 18/11/2025

2.–(1) अधिनियम भ्र0नि0अधि0 1988 (यथा संशोधित 2018) धारा 7

(2) अधिनियम..... धारायें .....

(3) अधिनियम..... धारायें.....

(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 348 समय 9:40 P.M.

(ब) अपराध के घटने का दिन गुरूवार दिनांक 12.11.2025 समय 8.30 पी.एम.

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 12.11.2025 समय 5.10 पीएम

4.–सूचना की किस्म :–लिखित / मौखिक ..... लिखित

5–घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बजानिब पूर्व करीब 60 किलोमीटर

(ब) पता – एसीबी चौकी दौसा।

.....बीट संख्या .....जरायमदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना .....जिला.....

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम– विश्वेन्द्र कुमार

(ब) पिता/पति का नाम– फतेह सिंह यादव

(स) जन्म तिथी–उम्र– .....33 वर्ष

(द) राष्ट्रीयता –भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि जारी होने की जगह .....

(र) व्यवसाय –खेती

(ल) पता– निवासी रामगढ पुलिस थाना बहतूकला जिला अलवर।

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1– श्री हरभान सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह, 39 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम धनवाडा, नगलामाना, कुम्हेर जिला भरतपुर हाल कानि0 नं. 591 (रीडर) भ्र0नि0ब्यूरो, चौकी दौसा।

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– .....

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):–

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .....2,00,000/–रूपयें

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो).....

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 12.11.2025 को मन् अति0 पुलिस अधीक्षक, भूपेन्द्र के पास दो व्यक्ति उपस्थित आये जिनमें से एक ने अपना नाम विश्वेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री फतेह सिंह उम्र 33 साल निवासी रामगढ पुलिस थाना बहतूकलां जिला अलवर हाल कानि0 297 पुलिस थाना फुलेरा जिला जयपुर ग्रामीण एवं दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम श्री महेश कुमार यादव पुत्र श्री प्रभुदयाल व विश्वेन्द्र कुमार का चचेरा भाई होना बताया। श्री विश्वेन्द्र कुमार यादव एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जिसमें अंकित किया कि पुलिस थाना फुलेरा पर दिनांक 2.10.2025 को थानाधिकारी श्री चन्द्रप्रकाश व दलाल हैप्पी माथुर को ट्रेप किया था। जिस पर एसीबी में मुकदमा नं. 261/2025 दर्ज हुआ था। जिसका अनुसंधान एसीबी चौकी दौसा में श्री नवल किशोर मीणा डीवाईएसपी व उसका रीडर हरभान सिंह कर रहे है। श्री नवल किशोर मीणा डीवाईएसपी व उसका रीडर हरभान सिंह मुझे उक्त मुकदमें में नाजायज फसा रहे है। दिनांक 4.11.2025 को अनुसंधान के लिए मुझे एसीबी चौकी दौसा बुलाने पर मैं व मेरा भाई महेश कुमार मिले तो मुझसे डीवाईएसपी साहब के सामने उनके रीडर हरभान सिंह ने मुझे डराया धमकाया और मुझे केस से निकालने की एवज में 10 लाख रूपये की रिश्वत की मांग की व मुझसे कहा कि तेरा भाई महेश मुझसे आकर मिल लेगा। उसके बाद रीडर हरभान सिंह ने हमसे 2 लाख रूपये प्राप्त कर लिए। मैं और मेरा भाई महेश कुमार एसीबी के डिप्टी साहब श्री नवल किशोर मीणा व उसके रीडर हरभान सिंह को रिश्वत न देकर रंगे हाथो पकडवाना चाहते है। हमारा उनसे उधार कोई लेन–देन नही है और ना ही कोई रंजिश व दुश्मनी है। कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी श्री विश्वेन्द्र कुमार से मजिद दरियाफ्त करने पर उसने बताया कि रीडर हरभान सिंह मेरे भाई महेश के दोस्त मनोज कानि0 जो दौसा पुलिस लाईन में रहता है के मार्फत रिश्वत के संबंध में खुलकर वार्ता करता है तथा पूर्व में भी मनोज की उपस्थिति में ही हमसे 2 लाख रूपये रिश्वत के लिए थे। परिवादीगण से की गई मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांगने का पाया जाता है। लिहाजा सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। परिवादीगण को उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं रंनिग नोट का अवलोकन करवाया गया।

तत्पश्चात् कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजिटल वॉइस रिकार्डर निकाल कर परिवादी श्री विश्वेन्द्र कुमार व सहपरिवादी श्री महेश कुमार को डिजिटल वॉइस रिकार्डर को चालू व बन्द तथा वार्ता रिकॉर्ड करने की विधि परिवादी को समझाई जाकर श्री बंशीधर कानि. 24 को तलब कर परिवादीगण से परिचय करवाकर डिजिटल वॉइस रिकार्डर में नया एसडीकार्ड/मेमोरी कार्ड consistent micro sd 32 GB का डालकर दोनो का खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बाद हिदायत परिवादी श्री विश्वेन्द्र कुमार को सुपुर्द किया गया। परिवादीगण को हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि की मांग करने वाले अधिकारी/कर्मचारी से सम्पर्क करने से पूर्व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर लेवे तथा संदिग्ध आरोपीगण से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड कर परिस्थितिगत डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बन्द कर लें। जिसकी फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री विश्वेन्द्र कुमार के बताये अनुसार रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी के साथ श्री बंशीधर कानि. 24 को बाद हिदायत मुनासिब रवाना किया गया।

इसके बाद दिनांक 13.11.2025 को शाम को श्री बंशीधर कानि. कार्यालय में उपस्थित आया डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर पेश कर बताया कि दिनांक 12.11.2025 को परिवादीगण के साथ दौसा स्थित पुलिस लाईन में पहुंचकर समय करीब 8.30 पीएम पर सहपरिवादी श्री महेश कुमार के साथी कानि0 मनोज कुमार के मोबाईल फोन से सहपरिवादी श्री महेश कुमार की वार्ता आरोपी हरभान सिंह कानि. रीडर से करवाई गई। बाद वार्ता

विभागीय डिजिटल वॉइस रिकार्डर बंद करवाकर मन् कानि0 ने अपने पास रख लिया जो लाकर आपको प्रस्तुत कर दिया।

तत्पश्चात् दिनांक 14.11.2025 को परिवादी विश्वेन्द्र कुमार यादव व सहपरिवादी श्री महेश कुमार कार्यालय में उपस्थित आये व सहपरिवादी महेश कुमार ने बताया कि दिनांक 12.11.2025 को समय करीब 8.30 पीएम पर पुलिस लाईन दौसा में पदस्थापित मेरे साथी कानि0 मनोज कुमार के मोबाईल फोन से आरोपी श्री हरभान सिंह रीडर से मोबाईल फोन पर वार्ता की तो आरोपी श्री हरभान सिंह कानि. रीडर एसीबी चौकी दौसा ने वार्ता में कहा कि " विश्वेन्द्र कुमार का जो नमूना आवाज का सम्मन भेजा है उसमें कल दिनांक 13.11.2025 को न्यायालय में तारीख होने व तारीख पर नही भेजने के बारे में हरभान रीडर मना करता है। वार्ता में सहपरिवादी महेश कहता है..... अब कैसे बचाव होवे.....जिस पर हरभान रीडर कहता है..... देखो कुछ बिगड भी नही रहा है इस चीज की गारन्टी ले लो लिखित मैं मेरे से भलई.....सहपरिवादी महेश कहता है..... अब यार कर सको तो करलो बात भई हम तो दुखी है देखो..... जिस पर हरभान रीडर कहता है.....नही देखो विश्वास की चीज है ये और खुद में लीगल में जाके वो करके खुद वो करूगा इसको वो.....फिर सहपरिवादी महेश कहता है..... अब यार मनोज भाई साहब तो यू कह उन वापिस लेलो (पूर्व में दिये दो लाख रूपयें वापिस लेने के बारे में बात) अब वापिस तो यार लेके भी क्या फायदा ये बताओं..... .....जिस पर हरभान रीडर कहता है..... मैं तो तैयार हूं भले ही आपको विश्वास नही हो तो कोई दिक्कत नही है, मैं तो तैयार बैठा हूं कोई दिक्कत नही हैं.....फिर सहपरिवादी महेश कहता है..... भई और कोई उनके डिमान्ड हो तो डिमान्ड के हिसाब से बता दो यार ऐसी बात तो है नही देखो हम आप से दूर तो है नही.....हरभान रीडर कहता है..... मैं करवाउ तुम्हारे काम को सौ परसेन्ट निशिन्त रहो कोई दिक्कत नही है कल भेजना मत उसको कही भेज दे.....जिस पर सहपरिवादी महेश कहता है..... चलो नही भेजेगे हम तो ऐसा नही हो कल पैसे भी चले जाये और दोनो ही काम हो जाये..... वो ही तो डिप्टी साहब से और बात कर लेना यार.....जिस पर हरभान रीडर कहता है.....देखो सुनो मैं तो खुद ही यू कह रहा था कि कुछ भी हो जाए मैं स्पष्ट कराउंगा इनको आज मैनें सारे बयानो में आप भले ही कल फाईल पढ लेना सब में लिख दी की ये आवाज इसकी नही है इसकी नही है इसकी नही है साहब से कह दी कि अगर हो तो बता दो..... आदि वार्ता हुई जो मैंने टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड कर उसे बन्द कर श्री बंशीधर जी को दे दिया था।

इसके पश्चात् दिनांक 13.11.2025 को समय करीब 9.00 एएम पर सहपरिवादी श्री महेश कुमार ने बताया कि मैं व विश्वेन्द्र कुमार एवं श्री बंशीधर जी की उपस्थिति में मैंने मेरे मोबाईल फोन नं. [redacted] से आरोपी श्री हरभान सिंह के मोबाईल नं. [redacted] पर वॉट्सअप कॉल किया तो आरोपी हरभान सिंह कानि. रीडर ने कहा कि मैं तो जयपुर आ गया और इसमें ब्रीफ बनवाली आप उच्च अधिकारियों को अभ्यावेदन देकर तफ्तीश चेंज करवालो और करीब 10 मिनट बाद मेरा साथी मनोज कानि0 मेरे पुलिस लाईन दौसा स्थित क्वार्टर पर आया व आरोपी हरभान सिंह रीडर को पूर्व में दिये 2 लाख रूपये मुझे श्री बंशीधर कानि0 की उपस्थिति में वापस लौटाते हुए बताया कि अभी कुछ देर पहले हरभान सिंह रीडर मेरे पास पुलिस लाईन के मैंस में आया था और पूर्व में दिये हुए 2 लाख रूपये आपको देने के लिए कहकर तुरन्त चला गया।

इस पर श्री बंधीधर कानि0 24 द्वारा दिया गया डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को परिवादीगण की उपस्थिति में चला कर सुना गया तो परिवादीगण द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। जिसकी गवाहान व परिवादीगण की उपस्थिति में सहपरिवादी श्री महेश कुमार ने स्वयं एवं श्री हरभान रीडर एसीबी दौसा की आवाज होना पहचान की। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को लेपटॉप से जोड़कर उसमें लगे एसडीकार्ड/मेमोरी कार्ड consistent micro sd 32 GB में रिकॉर्ड वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये तथा उक्त

वार्ता को 02 खाली डीवीडी को लेपटॉप की सहायता से खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे एसडीकार्ड/मेमोरी कार्ड consistent micro sd 32 GB में रिकार्ड वार्ता को लेपटॉप की सहायता से बर्न किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये।

उपरोक्त कार्यवाही से सामने आया कि ब्यूरो में दर्ज प्रकरण संख्या 261/2025 का अनुसंधान श्री नवल किशोर उप अधीक्षक पुलिस, एसीबी चौकी दौसा द्वारा किया जा रहा है। उनके रीडर श्री हरभान सिंह कानि. पं. 591 द्वारा परिवादी श्री विश्वेन्द्र कुमार कानि0 को प्रकरण में मदद करने, केस पत्रावली के तथ्यों से अवगत करवाने, माननीय न्यायालय से जारी करवाये गये सम्मन पर नही आने व उसके पक्ष में सभी बयान करने के तथ्य ट्रान्सकिप्ट वार्ता में पाये गये है। परिवादी को प्रकरण में आरोपी नही बनाने की एवज में रीडर श्री हरभान सिंह कानि. 591 द्वारा पूर्व में लिए गये 2 लाख रूपये ब्यूरो कार्यवाही का अंदेशा होने के कारण सहपरिवादी महेश एवं एसीबी के कानि0 श्री बंशीधर की उपस्थिति में वापस लौटाया जाना प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग सत्यापन प्रमाणित पाया गया है।

अतः श्री हरभान सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह, उम्र 39 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम धनवाडा, नगलामाना, कुम्हेर जिला भरतपुर हाल कानि0 नं. 591 (रीडर) भ्र0नि0ब्यूरो, चौकी दौसा का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में कारित किया जाना पाया गया है। अतः श्री हरभान सिंह कानि0 पं. 591 (रीडर) भ्र0नि0ब्यूरो, चौकी दौसा के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है।

(भूपेन्द्र)
अति0 पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
नगर प्रथम, जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भूपेन्द्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से आरोपी श्री हरभान सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह, निवासी ग्राम धनवाडा, नगलामाना, कुम्हेर जिला भरतपुर हाल कानि नम्बर 591(रीडर) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी दौसा के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 304/2025 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर अनुसंधान श्री नीरज गुरनानी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर प्रथम, जयपुर को सुपुर्द कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई।

(पुष्पेन्द्र सिंह राठौड)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 1721-25 दिनांक 18.11.2025

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-2 जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर प्रथम,जयपुर।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।